

न्यायालय, अनुमण्डल वृद्धाधिकारी, चास।

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० वाद संख्या 12/2020

(1)

15/10/20
26/10/20
9/11/20
3/12/20
14/12/20
रसा

प्रथम पक्ष :-

1. राजेश सुमार दे, पिता छोरेग दे सा० चन्दनकियारी बाजार ग्रामपंचायती वीला,
पो०-थाना चन्दनकियारी, जिला वोकारो।

:- वसाम :-

द्वितीय पक्ष :-

1. थोला दे उर्फ अचिन्त दे, पिता सब० खुदीराम दे सा० चन्दनकियारी बाजार
पो०-थाना चन्दनकियारी जिला वोकारो।

कार्यवाही

प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 06.03.2020 का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त आवेदन एवं निर्गत नोटिस संख्या 430 दिनांक 14.03.2020 में दिनांक 17.08.2020 को पारित आदेश के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्राप्त है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि

सजस्त ग्राम/मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकवा
चन्दनकियारी	चन्दनकियारी	389	2138, 2139	कुल रकवा 07 डी०

चौहद्दी:-

उत्तर :- प्लॉट सं० 2151 विष्णु दास वैश्वास्व
दक्षिण :- रास्ता डी०बी० रोड

पूरब :- प्लॉट सं० 2136 विश्वकर्मा मन्दिर
पश्चिम :- प्लॉट सं० 2140, 2141 दुखु दे, हारु दे का हिस्सा

अतः आवेदन के विचारोपरान्त द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरान्त विवरण की भूमि पर एतद द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 21/9/20 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरान्त भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल वृद्धाधिकारी,
चास।

19/20 सूचना का तामिला प्राप्त।

प्रथम पक्ष के बाजते हैं तथा स/लहेर समय का आवेदन है

द्वितीय पक्ष के बाजते हैं तथा स/लकारिकल

किया गया

Office File - SDO Office-2018-19 S.D.M. Court - 144 Crp. Proceeding & Notice
दिनांक 15/10/2020 का रस्ते

S.D.M.
chaus

15/X/2020

1st party

has filed written statement.

2nd party

has filed show cause.

~~4th party~~

Seek throne report on the apprehension of breach
from peace.

Seek to report on the land details.
Not hearing on 26/X/2020.

g/l

15/X/2020

27/X/20
26/X/20

द्वितीय पक्ष के वकालतन हाजरी है
प्रथम पक्ष अनुपस्थित
दिनांक 9/11/2020 को रखा

S.D.M
Chas

9/11/2020 द्वितीय पक्ष के हाजरी है,
प्रथम पक्ष के हाजरी है,
दिनांक 31/12/2020 को रखा

S.D.M
Chas

31/12/20 प्रथम पक्ष के हाजरी है,
द्वितीय पक्ष के हाजरी है,
दिनांक 14/12/20 को रखा

S.D.M
Chas

14/12/2020

Sec 144 has been imposed since more than 60 days
Sec 144 is time bound hence case is dropped

g/l
14/12/2020

22/12/20

अभिलेख उपलब्ध।

कोशेना नायरल एक वैश्विक महामारी के कारण केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका अतः सुनवाई हेतु दिनांक 20/7/2020 को रखा।

20/7/20

प्रथम पक्ष के एक सदस्य का S.O.M. हाजरी हुआ तथा S.O. दाखिल किया गया Chas
द्वि पक्ष अनुपस्थित।

दिनांक 17/8/2020 को रखा

S.O.M.
Chas

17/8/2020

2nd party has refused to receive the summon notice.

Impose section 144 on the said land both the parties are prohibited from going on the disputed land.

Notice to 2nd party to represent in the next hearing otherwise ~~case~~ case would proceed ex parte.

Notice to be posted on the premises of 2nd party and countersigned by two neighbouring witnesses

Hearing to continue on. 21/9/2020

S/O
17/8/20